



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271781
CG-DL-E-15042026-271781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1798]

नई दिल्ली, सोमवार अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 1798]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1867(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 875(E) तारीख 17/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के कि.मी. 112.500 से कि.मी.119.400 (मंत्रालयम बाईपास के अडोनी से माधवरम खंड) तक के भूखण्ड पर के निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27.02.2026 और 28.02.2026" को "आंध्र प्रभा" और "हंस इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के कि.मी. 112.500 से कि.मी.119.400 (मंत्रालयम बाईपास के अडोनी से माधवरम खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: करनूल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मंत्रालयम					
गांव का नाम: चेदनीहल्ली					
1	34/2	निजी (इनाम)	झाय	0.0445	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
गांव का नाम: मंचाला					
2	346/2	निजी (इनाम)	झाय	0.4978	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
3	356/2बी	निजी (पट्टा)	झाय	0.0081	कुरुवा रघुप्पा एँसु/ओ के एरन्ना
4	358/1बी	निजी (इनाम)	झाय	0.2792	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
5	358/2बी	निजी (इनाम)	झाय	0.2671	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
6	369/2	निजी (इनाम)	झाय	0.3197	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
7	370/1	निजी (इनाम)	झाय	0.0324	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
8	371/2	निजी (इनाम)	झाय	1.2545	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
9	89/1बी	निजी (इनाम)	झाय	0.0041	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
10	89/3ए	निजी (इनाम)	झाय	0.1214	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
11	93/3ए	निजी (इनाम)	झाय	0.0324	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
12	94/1ए	निजी (इनाम)	झाय	0.0405	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम

13	94/3बी	निजी (इनाम)	ड्राय	0.5423	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
14	94/4बी	निजी (इनाम)	ड्राय	0.6677	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
15	95/1ए	निजी (इनाम)	ड्राय	0.1821	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
16	95/2बी	निजी (इनाम)	ड्राय	0.4816	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
17	95/3ए	निजी (इनाम)	ड्राय	0.2347	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
18	97/4ए	निजी (इनाम)	ड्राय	0.0243	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
19	98/2बी	निजी (इनाम)	ड्राय	0.0364	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
20	98/3ए	निजी (इनाम)	ड्राय	0.0081	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
21	98/4बी	निजी (इनाम)	ड्राय	0.8296	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
22	99/1	निजी (इनाम)	ड्राय	0.0081	श्री राघवेंद्र स्वामी मातम
Total				5.9166	

[फा. सं. Rc.G1.959/2023/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th April, 2026

S.O. 1867(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **875(E) Dated:17/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building of (widening/two lane with paved shoulder etc.), Maintenance, management and operation of NH167 in the stretch of land **from Km. 112.500 to Km. 119.400 (Adoni to Madhavaram Section of Mantralayam Bypass)** in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in "Andhra Prabha" and "Hans India" both dated 27.02.2026 and 28.02.2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH167 in the stretch of land from Km. 112.500 to Km. 119.400 (Adoni to Madhavaram Section of Mantralayam Bypass) in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: KURNOOL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mantralayam					
Village: Chetnihalli					
1	34/2	Private (Inam)	Dry	0.0445	Sree Raghavendra Swamy Matam
Village: Manchala					
2	346/2	Private (Inam)	Dry	0.4978	Sree Raghavendra Swamy Matam
3	356/2B	Private (Patta)	Dry	0.0081	Kuruva Raghappa S/o K Eranna
4	358/1B	Private (Inam)	Dry	0.2792	Sree Raghavendra Swamy Matam
5	358/2B	Private (Inam)	Dry	0.2671	Sree Raghavendra Swamy Matam
6	369/2	Private (Inam)	Dry	0.3197	Sree Raghavendra Swamy Matam
7	370/1	Private (Inam)	Dry	0.0324	Sree Raghavendra Swamy Matam
8	371/2	Private (Inam)	Dry	1.2545	Sree Raghavendra Swamy Matam
9	89/1B	Private (Inam)	Dry	0.0041	Sree Raghavendra Swamy Matam
10	89/3A	Private (Inam)	Dry	0.1214	Sree Raghavendra Swamy Matam
11	93/3A	Private (Inam)	Dry	0.0324	Sree Raghavendra Swamy Matam
12	94/1A	Private (Inam)	Dry	0.0405	Sree Raghavendra Swamy Matam
13	94/3B	Private (Inam)	Dry	0.5423	Sree Raghavendra Swamy Matam
14	94/4B	Private (Inam)	Dry	0.6677	Sree Raghavendra Swamy Matam
15	95/1A	Private (Inam)	Dry	0.1821	Sree Raghavendra Swamy Matam
16	95/2B	Private (Inam)	Dry	0.4816	Sree Raghavendra Swamy Matam
17	95/3A	Private (Inam)	Dry	0.2347	Sree Raghavendra Swamy Matam

18	97/4A	Private (Inam)	Dry	0.0243	Sree Raghavendra Swamy Matam
19	98/2B	Private (Inam)	Dry	0.0364	Sree Raghavendra Swamy Matam
20	98/3A	Private (Inam)	Dry	0.0081	Sree Raghavendra Swamy Matam
21	98/4B	Private (Inam)	Dry	0.8296	Sree Raghavendra Swamy Matam
22	99/1	Private (Inam)	Dry	0.0081	Sree Raghavendra Swamy Matam
Total				5.9166	

[F. No. Rc.G1.959/2023/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director